04/08/13

अनुसूची– 14 फार्म संख्या– 562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक

भूमि विवाद वाद संख्या 112 सन् 2013–14

श्रीमती वानो देवी बनाम श्रीमती सोनावती देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	वानो देवी पति- कल्लर मण्डल साo- तेलहन, नड्डी चौल थाना- सदर जिला- दरभंगा के जिला जन शिकायत कोषांग दरभंगा के निबंधन संख्या 1285 दिनांक 02.05.13 के द्वारा प्राप्त हुआ है। वादी के परिवाद - पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी के भूमि को सोनावती देवी पति ठाकुर मण्डल, राज कुमार मण्डल एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर वादी को धमकाने मारने पीटने तथा इनकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वादी के परिवाद - पत्र के आलोक में वाद को प्रतिग्रहित किया जाता है। पक्षकार को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 21.05.13 को रखें। लेखापित ह० भू० सु० उ० समा० सदर, दरभंगा — ह० भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता सदर, दरभंगा	30-5-13. 08/06/13 18-6-13. 29.06.13 9.7.13 15.7.13 29/07/13 20/08/13 30/8/13. 14/9-13. 27.9-13 4.10.13 30-10-13. 21-11-13. 7-12-13. 19-12-13. 26/12/13 07/01/14 15/01/14 28/01/14

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश [illegible] की गई का[illegible]ई के बारे मे [illegible]पणी, तारीख–सहित
21-5-13.	वादी की हाजरी [illegible] प्रतिवादी की हाजरी [illegible] 30/5	
30/5/13	वादी की हाजरी, समय आवेदन है। प्रतिवादी की हाजरी है। अभिलेख दिनांक 08/06/13 को रखें।	
8-6-13.	वादी की हाजरी [illegible] प्रतिवादी की हाजरी नहीं [illegible] 18/06	
18/06/13	वादी की हाजरी प्रतिवादी की हाजरी [illegible] अभिलेख दिनांक 29/06/13	
29/06/13	वादी की हाजरी नहीं है। प्रतिवादी की हाजरी है। पुनः दिनांक 09/07/13	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
09/07/13	वादी की हाजरी नहीं है विपक्षी की हाजरी है वादी पुकार पर अनुपस्थित वादी विपक्षी को वाद पत्र के साथ संबंधित कागजात अगली तिथि को निश्चित रूप से उपलब्ध करावें। विपक्षी W/S दाखिल करें। अभिलेख दिनांक 19/07/13 मु० स्० उ० सभा०	
19/07/13	वादी की हाजरी नहीं है। विपक्षी अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 29/07/13 मु० स्० उ० सभा०	
29/07/13	वादी | अनु०। विपक्षी पुनः दिनांक 20.8.13 को रखें। मु. न्या. उ. सभा.	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20/8/13	वादी - अनु०। विपक्षी का हाजरी है तथा प्रतिउत्तर दाखिल है। सुनवाई हेतु दिनांक· 30·8·13 को रखें। 20/08/13 प्र· प्र· उप· सम०	
30/8/13·	वादी - अनु० विपक्षी की हाजरी है। पुनः दिनांक - 13·9·13 को रखें। प्र· प्र· उप· सम०	
13·9·13	वादी· अनु० विपक्षी की हाजरी है। पुनः दिनांक - 27·9·13 को रखें। प्र· प्र· उप· सम०	
27·9·13	वादी· अनु० विपक्षी की हाजरी है वादी दिनांक 19·7·13 से आजतक लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा इस वाद में अभी तक w·s भी दाखिल नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद के निस्तार में कोई अभिरुचि नहीं है। अगली तिथि को अगर उपस्थित होकर अपना w·s दाखिल नहीं करता है तो वाद को निस्तार कर दिया जायेगा। अभिलेख दिनांक - 4·10·13 को रखें। 27/09/13 प्र· प्र· उप· सम०	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
4.10.13	वादी - विपक्षी की हाजरी है। अव्योहस्ताक्षरी प्रशिक्षण में गये है। पुनः दिनांक 30.10.13 को रखें। ह० प्र० 34 मा०	
30.10.13.	वादी – अनु० विपक्षी की ओर से हाजरी है। पुनः दिनांक - 21.11.13 को रखें। ह० प्र० 34 मा०	
21.11.13	वादी - अनु० विपक्षी की ओर से हाजरी है। पुनः दिनांक - 7.12.13 को रखें। ह० प्र० 34 मा०	
7.12.13	वादी } - अनु०। विपक्षी पुनः दिनांक - 19.12.13 को रखें। 07/12/13 ह० प्र० 34 मा०	
19.12.13	उभयपक्ष - अनु० ! अव्योहस्ताक्षरी जाँच में गये है। पुनः दिनांक - 26.12.13 को रखें। ह० प्र० 34 मा०	
26.12.13	उभयपक्ष - अनु० / पुनः दिनांक 28.1.14 को रखें /	

28.1.14. उभय पक्ष - अनु०।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी द्वारा दायर वाद में दिनांक 19.7.13 के बाद से लगातार अनुपस्थित चल रहे है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.9.13 को दिये गये आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है इससे यह ज्ञात होता है कि विपक्षी को भी वाद के संचालन में अभिरुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में उस वाद की कार्यवाई को समाप्त किया जाता है।

28/01/14

ऋषि कुमार उप. समाहर्ता
सदर, गोंडा।